

21/01/25 - पत्रावली पेश हुई। वकील हकीम उपाध्याय /
 वकील हकीम/वकील का नाम अन्तर्गत भादश ०९
 निम्न ०५ काफ़ा देवानी के तहत खारिज
 किया जा चुका है। इस लिए अथ ०५ हकीम-पत्र
 का कोई भी फ़ैसला शेष बड़ी रहे जाय है।
 इसीलिए हकीम का हकीमता पत्र अन्तर्गत भादश ०९
 निम्न ०५ काफ़ा देवानी में खारिज किया जा रहा है।
 पत्रावली केमल सुभा २ होकर। दफ़ लम्पर से
 कर है। अतः सुले अदालत में हुजूम गण।
 अथ

उपखण्ड अधिकारी
 साँभर मेक

